न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 389 / 2016

बउनवान

रणवीर आयु 45 साल पुत्र श्री लटूर जाति–मेघवाल निवासी–खैराली तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 01.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ नायब न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.4.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खैराली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 165/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा [illegible] किया गया है।

अपील [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ काननू एवं पत्रावली पर [illegible] होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जबावदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है। अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व तरतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.4.2016 निरस्त करमाया जावे।

इस पर [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ [illegible] मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान [illegible] पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.4.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 898/12 निर्णय दिनांक 28.9.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति [illegible] लांट के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ कि [illegible] है।

परिणामस्वरूप, [illegible] क स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसी [illegible] खली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधी [illegible] करण संख्या 27/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2016 [illegible] वास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विव [illegible] जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित [illegible] पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा [illegible] बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब [illegible] द्वारा निर्णय दिनांक 11.4.2016 से दी गयी सिविल कारावास की [illegible] अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पा [illegible] 2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

([illegible] सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)